मोतीलाल नेहरु रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज
इलाहाबाद-211004

प्रशासकीय परिषद् की दिनांक 19 नवम्बर, 1997 को लखनऊ में सम्पन्न हुई 87वीं बैठक की कार्यवृत

प्रशासकीय परिषद् के निम्नलिखित सदस्यों ने बैठक में भाग लिया:-

1.	श्री आर.एस.माथुर, अध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद् एवं मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ	अध्यक्ष
2.	श्री सतीश कुमार अग्रवाल, उपाध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद् एवं सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, प्राविधिक शिक्षा विभाग, लखनऊ	उपाध्यक्ष
3.	श्री डी.एन.तिवारी, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त विभाग, लखनऊ	सदस्य,
4.	डा0 अशोक चन्द्र, निदेशक (तकनीकी) भारत सरकार, मानव संसाधन एवं विकास मन्त्रालय, (शिक्षा विभाग), नई दिल्ली	सदस्य
5.	प्रो0 रजनीश प्रकाश, प्रधानाचार्य, पंजाब इन्जीनियरिंग कालेज, चण्डीगढ़	सदस्य
6.	श्री बल्देव सिंह, सहायक वित्तीय सलाहकार, इन्टीग्रेटेड फाईनेन्स डिवीजन, भारत सरकार, मानव संसाधन एवं विकास मन्त्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
7.	प्रो0 वी.डी.गुप्ता, कुलपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
8.	श्री धर्मवीर, पूर्व मुख्य अभियन्ता, (यू.पी. पी.डब्लू.डी.) ए-377, इन्द्रा नगर, लखनऊ	सदस्य
9.	प्रो0 ए.के.गोविल, आचार्य, अप्लाईड मेकेनिक्स विभाग, मोतीलाल नेहरु रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद	सदस्य

10. श्री ए.सी.अग्रवाल,
प्रवक्ता,
मेकेनिकल इन्जीनियरिंग विभाग,
मोतीलाल नेहरु रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज,
इलाहाबाद

11. प्रो० एस.बी.एल.गर्ग,
प्रधानाचार्य,
मोतीलाल नेहरु रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज,
इलाहाबाद

सदस्य/

प्रशासकीय परिषद् के निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित न हो सके:-

1. श्री एल.एन.मिश्रा,
निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश,
कानपुर

2. प्रो० एम.यू.देशपाण्डेय,
791, पाकेट (ई), मयूर विहार,
फेस द्वितीय,
दिल्ली

3. प्रो० एन.सी.निगम,
कुलपति,
रुड़की विश्वविद्यालय,
रुड़की

4. प्रो० राजेन्द्र प्रकाश,
भूतपूर्व कुलपति,
गढ़वाल विश्वविद्यालय,
74 (5), सिविल लाइन्स,
रुड़की

5. श्री ललित खेतान,
39, फ्रेण्ड्स कालोनी (ईस्ट),
नई दिल्ली

6. प्रो० के.ए.पद्मनाभन,
निदेशक,
आई.आई.टी.,
कानपुर

7. प्रो० रामे गौडें,
चेयरमैन,
आल इंडिया कौंसिल फार टेकनिकल एजूकेशन,
इन्द्रप्रस्थ स्टेट,
इन्द्रा गान्धी स्पोर्टस कम्प्लेक्स,
नई दिल्ली

87.01 प्रशासकीय परिषद् ने अपनी विगत 86वीं बैठक जो दिनांक 19 अगस्त, 1996 को सम्पन्न हुई थी, के प्रारुप कार्यवृत की पुष्टि की।

87.02 प्रशासकीय परिषद् की दिनांक 19 अगस्त, 1996 को सम्पन्न हुई 86वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत कृत कार्यवाही से परिषद् अवगत हुई।

87·3 प्रशासकीय परिषद ने महाविद्यालय की वित्त समिति की दिनांक 30-12-1996 व 12-05-1997 को सम्पन्न हुई 67वीं व 68वीं बैठकों एवं भवन निर्माण समिति की दिनांक 27-01-1997 व 09-4-1997 को सम्पन्न हुई 79वीं व 80वीं बैठकों की कार्यवृत्तियों का अवलोकन किया एवं अनुमोदन प्रदान किया। दिनांक 30-12-96 को सम्पन्न हुई वित्त समिति की 67वीं बैठक के कार्यवृत्त के विन्दु सं0 67·05 में नई कार का क्रय करने हेतु रु0 5·00 लाख की धनराशि का प्राविधान किया जाना दिखाया गया है,जो कार के वास्तविक मूल्य से कहीं अधिक है। अतः इस सम्बन्ध में यह निर्देश दिए गये कि कार्यवृत्त में संशोधन करते हुए रु0 5·00 लाख की धनराशि का,कार का वास्तविक मूल्य अंकित किया जाय।

पुनः परिषद के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष/मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन से अनुरोध किया गया कि राजकीय निर्माण इकाईयों को निर्देश जारी कराने का कष्ट करें कि इन इकाईयों द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्य का विस्तृत आगणन तैयार कर उसपर आने वाली अनुमानित लागत की गणना पर सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात कार्य प्रारम्भ करें तथा निर्धारित समय में कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय हुआ कि सचिव, प्राविधिक शिक्षा के हस्ताक्षर से सभी सम्बन्धित निर्माण एजेन्सीज को तद्नुसार पत्र लिखा जाये।

87·4 प्रशासकीय परिषद ने महाविद्यालय के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा सम्परीक्षित वार्षिक वित्तीय लेखा (हिन्दी व अंग्रेजी वर्जन) पर विचार किया तथा अनुमोदन प्रदान किया।

परिषद द्वारा महाविद्यालय से अपेक्षा की गई कि वर्ष 1995-96 के लेखाओं पर महालेखाकार द्वारा प्रस्तर दो पर कालेज लेखाओं के सम्बन्ध में की गई टिप्पणियों का महालेखाकार, उ0प्र0 से निस्तारण कराकर कृत कार्यवाही परिषद के समक्ष आगामी बैठक में प्रस्तुत कियाजाय। यह निर्णय भी लिया गया कि महालेखाकार के पूर्व प्रतिवेदनों में बराबर यह इंगित किए जाने के बावजूद कि संस्थान की परिसम्पत्तियों का सेन्ट्रलाइज्ड रजिस्टर बनाया जाय तथा प्रत्येक परिसम्पत्ति की बुक-वैल्यु अंकित करते हुए इस कन्सालिडेटेड स्टेटमेन्ट को एनुवल एकाउन्ट के साथ संलग्न किया जाय। संस्थान स्तर पर इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया, अतः इसके लिए दोषी अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाय।

परिषद द्वारा यहभी निर्देश दिया गया कि संस्था की तुलना-पत्र (बैलेन्स शीट) में पिछले वर्षो के अवशेषों को भी दर्शाया जाय।

87·5 प्रशासकीय परिषद ने सिविल इंजीनियरिंग विभाग के आचार्य डा0 आई0सी0अग्रवाल को स्वीकृत प्रतिनियायन अवकाश के विस्तारण हेतु प्रो0 अग्रवाल के पत्र दिनांक 14-04-97 पर विचार किया तथा उन्हे कुल साढ़े तीन वर्ष का प्रतिनियायन अवकाश स्वीकृत किया गया। यह भी महसूस किया गया कि वर्तमान नियमों के अन्तर्गत कुल 02 वर्ष की प्रतिनियुक्ति की अवधि प्रथम-दृष्ट्या कम प्रतीत होती है, अतः इसे और अधिक व्यवहारिक एवं युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता है। इस पृष्ठभूमि में निर्णय लिया गया कि संस्थान द्वारा वर्तमान नियमों में आवश्यक संशोधन के साथ उक्त के सम्बन्ध में युक्तिसंगत प्रस्ताव परिषद के विचारार्थ अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

87·6 संस्था द्वारा विजिटिंग प्रोफेसर/रीडर की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रस्तावित नियमों पर परिषद द्वारा विचार किया तथा उक्त नियमों में कतिपय संशोधनों के उपरान्त संलग्न संशोधित नियमावली के अनुसार संस्था में विजिटिंग प्रोफेसर/रीडर की नियुक्ति किये जाने पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।

87·7 प्रशासकीय परिषद ने विभागाध्यक्षों द्वारा विभागों में दिन-प्रतिदिन के प्रयोग मे आने वाली सामग्रियों एवं उपकरणों को क्रय करने के लिए रु0 5000/-की सीमा को बढ़ाकर रु0 10,000/- करने का निर्णय लिया गया।

....4

97.08 (क) प्रशासकीय परिषद् ने महाविद्यालय में केमिकल इन्जीनियरिंग में चार वर्षीय डिग्री पाठ्य-क्रम प्रारम्भ करने के प्रस्ताव पर विचार किया तथा सिद्धान्तत सहमति व्यक्त करते हुये उक्त पाठ्य-क्रम पर अनुमानित व्यय के विवरण के साथ विस्तृत प्रस्ताव परिषद् की अगली बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

87.08 (ख) प्रशासकीय परिषद् ने महाविद्यालय में बायो-टेक्नोलाजी में एक वर्षीय स्नात्कोत्तर डिप्लोमा पाठ्य-क्रम प्रारम्भ करने के प्रस्ताव पर विचार किया तथा उक्त पाठ्य-क्रम को संस्था में चलाये जाने के सम्बन्ध में अपनी असहमति व्यक्त की।

87.08 (ग) प्रशासकीय परिषद् ने संस्था में डिजिटल सिस्टम, थर्मल इन्जीनियरिंग, कैड/कैम तथा कम्प्यूटर साइंस एवं इन्जीनियरिंग में प्रत्येक में स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रम चलाये जाने के प्रस्ताव पर विचार किया तथा प्रत्येक पाठ्यक्रम में 10 छात्रों की प्रवेश क्षमता से उक्त स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रम चलाये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया।

87.09 (क) प्रशासकीय परिषद् ने संस्था में प्राक्टर-कम-स्पोर्ट्स आफिसर के विद्यमान पद को असिस्टेन्ट प्राक्टर-कम-हास्टल मैनेजर पदनाम में परिवर्तित करने के विषय में विचार किया तथा प्राक्टर-कम-स्पोर्ट्स आफिसर के वर्तमान पद को निम्नलिखित अर्हताओं एवं कार्य विवरण के साथ समकक्ष वेतन मान (रु. 2,200-4,000) में असिस्टेन्ट प्राक्टर-कम-हास्टल मैनेजर के पदनाम में परिवर्तित किये जाने पर अपना अनुमोदन प्रदान किया।

अर्हताएं

(अ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी अथवा उच्च द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि।

(ब) मैनेजमेन्ट में स्नात्कोत्तर उपाधि अथवा स्नात्कोत्तर उपाधि के समकक्ष मैनेजमेन्ट में डिप्लोमा या मैनेजमेन्ट का दो वर्ष का अनुभव।

87.09 (ख) प्रशासकीय परिषद् ने संस्था के मेकेनिकल इन्जीनियरिंग विभाग के अन्तर्गत रु.1400-2300 के वेतनमान में ड्राफ्टमैन के स्वीकृत दो पदों में से रिक्त एक पद को कम्प्यूटर टेक्नीशियन पदनाम दिये जाने के प्रस्ताव पर विचार किया तथा ड्राफ्टमैन के रिक्त एक पद को कम्प्यूटर टेक्नीशियन पदनाम किये जाने पर अपना अनुमोदन प्रदान किया।

87.09 (ग) प्रशासकीय परिषद् ने मेकेनिकल इन्जीनियरिंग विभाग के अन्तर्गत रु. 1400-2300 के वेतन मान में स्वीकृत फोटोग्राफर के एक रिक्त पद को सीनियर कम्प्यूटर आपरेटर के पदनाम में परिवर्तित करने के प्रस्ताव पर विचार किया तथा डिजाइन थीम सेन्टर में कार्य की

आवश्यकता को देखते हुये परिषद् ने उक्त पद को रु.1400-2300 के वेतन मान में वरिष्ठ कम्प्यूटर आपरेटर के पदनाम में परिवर्तित करने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

87.10 प्रशासकीय परिषद् ने संस्था में रु.950-1500 के वेतनमान में ट्रेसर के एक रिक्त पद के स्थान पर उसी वेतनमान में महाविद्यालय में आन्तरिक दूर-संचार व्यवस्था के समुचित संचालन एवं रख-रखाव हेतु क्म्यूनिकेशन मेकेनिक-कम-टेलीफोन आपरेटर के रूप में की गई तदर्थ व्यवस्था पर विचार किया तथा ट्रेसर के पद को कम्यूनिकेशन मेकेनिक-कम-टेलीफोन आपरेटर के पदनाम में परिवर्तित करने के प्रस्तावस पर अनुमोदन प्रदान किया।

87.11 प्रशासकीय परिषद् ने श्री पारस नाथ पाण्डेय, मेकेनिक ग्रेड 'ए' को विशेष चैकेत्सिक अवकाश स्वीकृत किये जाने के प्रस्ताव पर विचार किया तथा श्री पाण्डेय को 180 दिनों के विशेष चैकेत्सिक अवकाश की स्वीकृति प्रदान की।

87.12 प्रशासकीय परिषद् ने संस्था में अध्ययनरत छात्रों के बैक पेपर क्लीयर करने के उद्धेश्य से समर-कोर्स चलाये जाने के प्रस्ताव पर विचार किया तथा ग्रीष्मावकाश में उक्त समर-कोर्स चलाने के प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया। परिषद् ने समर सेकेस्टर के लिये सम्बन्धित छात्रों से निम्नानुसार शुल्क लिये जाने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया:-

क्रमांक	मद	शुल्क
1.	पंजीयन शुल्क	रु. 50.00
2.	शिक्षण शुल्क	रु.500.00
3.	मनोरंजन शुल्क	रु.100.00
4.	चिकित्सा शुल्क	रु. 20.00
5.	पुस्तकालय शुल्क	रु. 50.00
6.	परीक्षा शुल्क	रु.275.00 (विश्वविद्यालय के नियमानुसार)
7.	छात्रावास शुल्क	रु.100.00
8.	छात्रावास-विजली व जल व्यय	रु.200.00

87.13 प्रशासकीय परिषद् ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्यान, कानपुर में स्थापित नेशलन मैनपावर इनफारमेशन सिस्टम के नोडल सेन्टर को मोतीलाल नेहरु रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद में स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में जनसंसाधन अनुसंधान संस्थान, दिल्ली के प्रस्ताव पर विचार किया तथा निर्णय लिया कि संस्था में नोडल सेन्टर स्थापित करने के लिये अन्य नोडल सेन्टर्स से सूचना प्राप्त कर प्रकरण परिषद् की अगली बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

87.14 प्रशासकीय परिषद् ने महाविद्यालय को यूनेस्को असिस्टेन्स प्रोजेक्ट के अन्तर्गत प्राप्त विशिष्ट उपकरणों के अनुपयोगी हो जाने के कारण उन्हें निष्प्रयोज्य घोषित करने एवं उनके निस्तारण

पर विचार किया तथा निर्णय लिया कि यूनेस्को असिस्टेन्स प्रोजेक्ट के अन्तर्गत प्राप्त उपकर तथा अन्य उपकरणों की सूची तैयार की जाय तथा ऐसे उपकरण जो डिप्लोमा स्तर पाठ्यक्रमों लिये उपयोगी हों तो उन्हें पालीटेक्निक्स को स्थानान्तरित कर दिया जाय अन्यथा उन नियमानुसार निस्तारण कर दिया जाय।

87.15 प्रशासकीय परिषद् ने संस्था के ऐसे कर्मचारी जो दिनांक 1.1.1984 से पूर्व सेवा-निवृत हुये को भी पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन की सुविधा विश्वविद्यालय एवं कालेजों के नियमानुसार उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर विचार किया तथा विषय को शासन को संदर्भित किये जाने का निर्देश दिया।

87.16 प्रशासकीय परिषद् ने संस्था में "जी.के.अग्रवाल छात्रवृत्ति" चलाये जाने के प्रस्ताव पर विचा किया तथा संस्था में उक्त छात्रवृत्ति प्रदान करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया।

87.17 प्रशासकीय परिषद् ने संस्था के उप कुलसचिव (लेखा), उप कुलसचिव (शैक्षिक) तथा फिजिकल ट्रेनिंग इन्सट्रक्टर पदों पर चयन हेतु प्रस्तावित निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता एवं अनुभवों पर विचार किया तथा अनुमोदन प्रदान किया।

<u>प्रस्तावित अर्हता</u>

1. <u>Deputy Registrar(Accounts) (Pay Scale Rs.2200-4000)</u>

   (a) Bachelor's Degree from a recognised University.

   (b) Atleast 7 years experience in a responsible capacity of dealing with Financial matters, Accounts Rules and Regulations, Budget and Expenditure in a University/College.

   (c) Preference to be given to those candidates who have passed SAS Examination.

2. <u>Deputy Registrar(Academic) (Pay Scale Rs.2200-4000)</u>

   (a) Bachelor's Degree from a recognised University.

   (b) Atleast 7 years experience of Administrative/ Academic in a responsible capacity and Examination work in a University/College.

3. <u>Physical Training Instructor(Pay Scale Rs.2200-4000)</u>

   Master's Degree in Physical Education.

   OR

   Bachelor's Degree with P.G.Diploma in Physical Education.

87.18 प्रशासकीय परिषद् ने संस्था के विभिन्न विभागों में चक्रानुक्रम में विभागाध्यक्षों की नियुक्ति के प्रस्ताव पर विचार किया तथा निर्णय लिया कि उक्त प्रस्ताव पर महाविद्यालय विस्तारपूर्वक विचार करने के उपरान्त अपनी संस्तुतियाँ प्रशासकीय परिषद् की अगली बैठक में विचार हेतु प्रस्तुत करें।

87.19 प्रशासकीय परिषद् ने संस्था के विभिन्न शैक्षिक विभागों एवं प्रशासनिक पदों की चयन समितियों के लिये कार्यसूची के साथ संलग्न विशेषज्ञों की संशोधित नामिका (पैनल) को अनुमोदित किया।

87.20 प्रशासकीय परिषद् ने संस्था के वर्तमान कन्सल्टेन्सी नियमावली में आवश्यक संशोधन करने के प्रस्ताव पर विचार किया तथा निम्नलिखित सदस्यों की एक उप-समिति गठित करने का निर्णय लिया:-

1. कुलपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	अध्यक्ष
2. श्री धर्मवीर, सदस्य, प्रशासकीय परिषद्, मोतीलाल नेहरु रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद	सदस्य
3. श्री प्रो. रजनीश प्रकाश, सदस्य, प्रशासकीय परिषद्, मोतीलाल नेहरु रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद	सदस्य
4. प्रधानाचार्य, मोतीलाल नेहरु रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद	सदस्य
5. डीन (आर.एण्ड सी.), सदस्य, मोतीलाल नेहरु रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद	सदस्य

87.21 महाविद्यालय के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों द्वारा सेवा-निवृत्ति के सम्बन्ध में पूर्व में दिये गये विकल्पों में परिवर्तन विषयक प्रस्ताव परिषद् के सुझाव पर प्रधानाचार्य द्वारा वापस ले लिया गया।

प्रशासकीय परिषद् की बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के पश्चात् विसर्जित हुई।

(एस.बी.एल.गर्ग)
प्रधानाचार्य
सदस्य/सचिव

अनुमोदित,

(आर.एस.माथुर)
अध्यक्ष
प्रशासकीय परिषद्